न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 155/18 निर्णय दिनांकः– 4-11-25
(जीसीएमएस संख्या 2018/00217)

1. मनीदास पुत्र भोजदास जाति स्वामी निवासी चक 4 एस.एल.डी तहसील छतरगढ जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. कालेखां पुत्र मम्मे खां जाति मुसलमान निवासी लाखनसर तहसील छतरगढ जिला बीकानेर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) छत्तरगढ।

रेस्पोडेन्ट्स

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 23–02–2017
उपखण्ड अधिकारी, छतरगढ

उपस्थितिः–
1. श्री राजेश बैद, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 1
3. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट् ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, छतरगढ के आदेश दिनांक 23–02–2017 जिसके द्वारा अपीलांट को पूर्व में आवंटित भूमि को पश्चातवृति वैकल्पिक आवंटन किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए बताया कि वादग्रस्त भूमि चक 1 जी.एम के मुरब्बा नंबर 91/27 तादादी 18 बीघा अनकमाण्ड भूमि को आवंटन करवाने हेतु अपीलांट द्वारा विशेष आवंटन आवेदन पत्र सन 2007 में प्रस्तुत किया था, को एकल आवेदन होने के कारण स्वीकार कर लिया गया तथा नियमानुसार 35 प्रतिशत राशि जमा होने पर दिनांक 18–05–2017 को आवंटन पट्टा जारी कर दिया गया था तक से अपीलांट आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त कर रहा है। अपीलांट द्वारा सन् 2007 में ही वाद्गत भूमि को आवंटन कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया गया था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से आदेश जैर अपील पारीत कर रेस्पोडेंट संख्या 1 को वादगत भूमि पर वैकल्पिक आवेदन लेकर आवंटन कर दिया गया जबकि आवेदन उसी भूमि के लिए होते है जो पूर्व से अनावेदित हो। वादगत भूमि अनावेदित भूमि की श्रैणी में नहीं आती है क्योकि वादगत भूमि पर पूर्व में सन 2007 से अपीलांट का आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन था। वाद्गत भूमि अपीलांट की धारण की भूमि के समिप में स्थित है तथा वाद्गत भूमि पर अपीलांट अपने पशुधन आदि भी रखता है तथा लम्बे समय से काबिज काश्त करता आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का से बिना मौका रिपोर्ट मंगवाये एकतरफा स्वेच्छा से जैर अपील आदेश पारित कर रेस्पोडेंट संख्या 1 को वाद्गत भूमि का आवंटन कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को जो कि वाद्गत भूमि का आवेदक है तथा मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहा है कोई नोटिस या सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया ना ही साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर दिया गया एकतरफा तौर पर जैर अपील आदेश पारीत कर दिया गया जो कि कानूनन गलत है आदेश जैर अपील कानूनी रूप से दूषित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने मियाद बिन्दू अपनी बहस जारी करते हुए कथन किया कि दिनांक 25–03–2018 को प्रार्थी अपनी आवंटन शूदा वादगत भूमि पर कृषि कार्य कर रहा था तब अपार्थी संख्या 1 व अन्य दो तीन व्यक्तियों के साथ वादगत भूमि की सींव पर आया तथा कहने लगा कि वादगत भूमि उसने आवंटन करा ली है। अब जबरन कब्जा करेगा तथा खातेदारी लेकर अन्य ताकतवर व्यक्तियों को विक्रय करेगा। तब अपीलांट ने जैर अपील आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के कार्यालय में दिनांक 26–03–2018 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया तो बाद तैयारी नकल

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

दिनांक 09–04–2018 को दी गई। तत्पश्चात् अपील आदि के खर्चे की व्यवस्था करके यथासंभव शीघ्र अपील प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील अपीलांट अन्दर मियाद शुमार फरमाई जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया कि वादग्रस्त भूमि चक 1 जी.एम के मुरब्बा नंबर 91/27 तादादी 18 बीघा अनकमाण्ड भूमि अपीलांट को दिनांक 31–03–2017 को आवंटन हुई अपीलांट ने दिनांक 13–04–2017 को जरिये चालन 35 प्रतिशत राशि जमा करवाई तथा दिनांक 18–05–2017 को अपीलांट को आवंटन पट्टा जारी किया गया। इसके विपरित रेस्पोडेंट संख्या 01 को वादगत भूमि वैकल्पिक आवंटन के रूप में जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 23–02–2017 को ही हो गया। रेस्पोडेंट को उक्त भूमि का आवंटन अपीलांट के आवंटन से पहले का है। विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस को आगे जारी रखते हुए कथन किया कि अपीलांट व उसकी पत्नी के नाम पहले से ही 114 बीघा 14 बिस्वा जीमन है जो कि सीलिंग सीमा से अधिक की जमीन है अतः अपीलांट आवंटन के पात्र ही नही था। चूंकी पति पत्नी को एक ही युनिट माना जाता है आवंटन के वक्त पत्नी जिंदा थी अतः सिलिंग सीमा से अधिक जमीन होने के कारण आवंटन पात्र नही था। वादगत भूमि रेस्पोडेंट संख्या 01 के नाम पहले आवंटन हो चुकी थी, वादगत भूमि आवंटन के वक्त अराजी राज दर्ज थी तथा आदिनांक को राजस्व रिकॉर्ड में रेस्पोडेंट संख्या 01 का नाम दर्ज है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

अभिभाषक रेस्पोडेंट ने आगे कथन किया कि उक्त वादगत भूमि का प्रथम आवंटन मुझ रेस्पोडेंट संख्या 01 को पूर्व दिनांक 23–02–2017 को ही हो चुका था अतः रेस्पोडेंट संख्या 01 प्रथम आवंटि के रूप में था यही भूमि बाद में पश्चातवर्ती आदेश दिनांक 31–03–2017 पट्टा दिनांक 18–05–2017 को अपीलांट को आवंटित हुई। इस प्रकार प्रार्थी उक्त भूमि का प्रथम आवंटी है आवंटन नियमों के आधार पर द्वितीय आवंटी को अपील पेश करने का कोई लोकस स्टेण्डाई नही है। अपीलांट द्वारा अपील मियाद बाहर प्रस्तुत कि गई है तथा मियाद प्रार्थना पत्र में भी कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में जहॉ तक मियाद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 23–02–2017 के विरूद्व अपील दिनांक 11–04–2018 को पेश करते हुए अपील के साथ मियाद प्रार्थना पत्र पेश करते हुए अपील को अन्दर मियाद शुमार करने की मांग की गई है। इसके विपरित अपीलांट रेस्पोडेंट व राजकीय अभिभाषक ने अपील स्पष्ट रूप से मियाद बाहर होने के कारण खारिज फरमाई जाने का निवेदन किया है। हस्तगत प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियाद प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके विरूद्ध कोई काउन्टर शपथ पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। इस स्थिति में विलम्ब की अवधि अत्यधिक न होने सूरत में प्रकरण को तकनीकी आधार पर खारिज करने की अपेक्षा गुणावगुण पर निर्णय किया जाना श्रेयस्कर है। अतः अभिभाषक अपीलांट के प्रार्थना पत्र अर्न्तगत मियाद अधिनयम मय शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाकर अपीलांट् की अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है पत्रावली के अवलोकन से यह स्वीकृत स्थिति है कि जरिये विशेष आवंटन अपीलाधीन भूमि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट दोनो को आवंटित हुई। प्रकरण अपीलाधीन भूमि के दोहरे आवंटन से संबंधित है। जब एक ही भूमि का दोहरा आवंटन हुआ है इस स्थिति में विचारणीय प्रश्न यह है कि किस आवंटन को सही माना जाए। इस स्थिति में पूर्ववर्ती आवंटन किसका है और क्या पूर्ववर्ती आवंटन नियमानुसार हुआ है इस तथ्य पर गौर करना होगा।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यो से यह प्रकट होता है कि प्रकरण में अपीलांट को वादग्रस्त भूमि का आवंटन दिनांक 31–03–2017 को किया जाकर 35 प्रतिशत राशि खजानाराज में जमा करवाने के बाद दिनांक 18–05–2017 को आवंटन पट्टा जारी किया गया है। जबकि उपरोक्त कार्यवाही से पूर्व वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड में शुद्व रूप से आराजीराज दर्ज होने एवं गजट में प्रकाशित होने के आधार पर आराजी जैर के बाबत् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा बतौर विशेष आवंटन हेतु वैकल्पिक भूमि बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण प्रकिया को अपनाते हुए आराजी जैर भूमि

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

वाके तहसील छतरगढ चक 01 जीएम मु.न. 91/27 में रकबा 18.00 बीघा अनकमाण्ड का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को दिनांक 23–02–2017 किया गया तथा दिनांक 09–01–2017 को पूर्व आवंटित भूमि के लिए खजानाराज में जमा करवाये गये 35 प्रतिशत राशि समायोजन करने एवं दिनांक 13–01–2017 एवं दिनांक 17–03–2017 को अन्तर की राशि भी जमा करवाने के पश्चात् दिनांक 23–03–2017 को वादग्रस्त भूमि का रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को आवंटन पट्टा जारी किया गया था। जहां तक प्रश्न रेस्पोडेंट संख्या 01 को आवंटन का है तो रेस्पोडेंट संख्या 01 को इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में भूमि आवंटन नियम 1975 के नियम 13 ए के अनुसरण में वादग्रस्त भूमि के आवंटन की पात्रता की जॉच करने के उपरान्त वादग्रस्त भूमि शुद्व रकबाराज होने के आधार पर आराजीराज का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को बतौर विशेष आवंटन किया गया है तथा आवंटन पश्चात् 35 प्रतिशत राशि जरिये चालान खजानाराज में जमा करवाई जा चुकी है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि के बाबत् रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के आवंटन के संबंध में भी कार्यवाही पूर्ण हो चुकी थी।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपीलाधीन भूमि का आवंटन दिनांक 23–02–2017 को हो चुका था जबकि अपीलांट को इसी भूमि का आवंटन 18–05–2017 को किया गया।

प्रकरण में चूंकि वादग्रस्त भूमि के बाबत् रेस्पोडेंट संख्या 01 का अपीलाधीन भूमि का आवंटन पूर्ववर्ती आवंटन है तथा आवंटन के बाबत् तमाम राशि जमा करवाते हुए अपने अधिकारों को सुरक्षित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट संख्या 01 के आवंटन को निरस्त किये जाने का कोई औचित्य प्रकट नहीं होता है।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा बहस में यह ऐतराज उठाया गया है कि अपीलांट के नाम 144 बीघा 14 बिस्वा जमीन होने के करण अपीलांट सीलिंग सीमा से अधिक भूमि धारण करता है। अतः अपीलांट अपीलाधीन भूमि के आवंटन कराने का पात्र ही नही है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रतिउत्तर में कथन किये गये कि अपीलांट के 10 वारिस है। अतः अपीलांट का आवंटन सीलिंग सीमा से बाधित नही है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यो से सीलिंग के संबंध में पूर्ण विनिश्चय किया जाना संभव नही है। रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी से अपीलांट एवं अपीलांट की पत्नी के नाम लगभग 144 बीघा भूमि (18 बीघा कमाण्ड व 123 बीघा अनकमाण्ड भूमि) होना प्रथम दृष्टया प्रकट होता है। वारिसो के संबंध में कोई तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध नही है।

7. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का आवंटन दिनांक 23–03–2017 यथावत रखा जाता है। तहसीलदार छतगरढ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलांट की भूमि की जॉच करे और यदि सीलिंग सीमा से अधिक भूमि पाई जाती है तो नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति जिला कलक्टर, बीकानेर एवं तहसीलदार, छतरगढ को भिजवावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 4-11-25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर